

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी - देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 188/2019 रा.रा.अ.

1. राधामोहन पुत्र घनश्याम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र घनश्याम
3. मनीष कुमार पुत्र घनश्याम
4. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि स्व. घनश्याम

जाति महाजन निवासी सलेमपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा



... प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर लालसोट जिला दौसा
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई दौसा कार्यालय 87, गंगाविहार कॉलोनी, रावत पैलेस के पास, दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थित- 1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 27.02.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा एन.एच.11 ए के अंतर्गत ग्राम सलेमपुरा में स्थित संरचना आर.एच.एस.378 व आर.एच.एस.381 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण के आवासीय मकान पुख्ता दुकान ग्राम सलेमपुरा तहसील रामगढ पचवारा रा०रा०मार्ग पर पश्चिम की ओर स्थित है रा०रा० की चौड़ाई के लिए प्रार्थीगण के परिसर को अवाप्त किया गया है। प्रार्थीगण के परिसर की 74.86 वर्ग गज भूमि प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत में नजराना जमा कराकर ली थी। ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा प्रार्थीगण के पिता स्व० घनश्याम पुत्र श्री रामलाल गुप्ता के नाम ग्राम पंचायत सलेमपुरा में मिसल सं० 20.10.2011 में दिनांक 24.11.2010 को संकल्प सं० 12 पारित कर उक्त माप के भू-खण्ड का पट्टा प्रचलित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.07.2012 को पट्टा का पंजीकरण उपपंजीयक कार्यालय में प्रार्थीगण के पिता के नाम करवाया। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की पट्टाशुदा भूमि पर स्थित संरचनाओं के प्रतिकर निर्धारण संरचना सं० 378 व 381 का ही निर्धारण किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी कार्यालय लालसोट में दिनांक 21.05.2018 को प्रस्तुत की जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उसी दिन जांच कर प्रतिवेदन करने का आदेश पारित फरवाया। उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा दिनांक 18.06.2018 को बाद जांच प्रार्थीगण के परिसर की भूमि को पट्टाशुदा भूमि होना मानकर 27.06.2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की पट्टाशुदा भूमि का प्रतिकर (मुआवजा) निर्धारण नहीं कर पूर्व में निर्धारित संरचनाओं (निर्माण) का प्रतिकर सही मानकर अवार्ड पारित कर दिया। अप्रार्थी परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

जिला कलेक्टर, दौसा

- प्राधिकरण दौसा ने भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड को ही सही माने जाने व प्रार्थीगण की अवाप्तशुदाभूमि को राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार के नाम अंकित होने के कारण भूमि पर स्थित संरचनाओं (निर्माण) के प्रतिकर का ही प्रार्थीगण को हकदार माना है जो सही तथ्य नहीं है। आबादी भूमि का अंकन भी सरकार के नाम ही होता है किन्तु आबादी भूमि की न्यासी ग्राम पंचायत होने के कारण ग्राम पंचायत को भूमि विक्रय करने नजराना कर देने का अधिकार प्राप्त होता है। ग्राम पंचायत ने साधिकार प्रार्थीगण के भू-खण्ड की भूमि को प्रार्थीगण के पिता को पंचायत प्रस्ताव सं० 12 दिनांक 24.11.2020 को नजराना पर प्राप्त कर पट्टा दिया था तथा पट्टा का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय में प्रार्थीगण के पिता के नाम दिनांक 18.07.2012 को करवाया था। अतः भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि को राज. सरकार की भूमि मानने एवं परियोजना निदेशक द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश को सही मानकर प्रार्थीगण के परिसर की भूमि को राज० सरकार की भूमि मानकर प्रार्थीगण को भूमि आबादी होने के बावजूद आबादी भूमि की दर से प्रतिकर नहीं देने का आदेश पारित कर तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। प्रार्थीगण द्वारा एतदर्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 18.05.2018 पर पारित आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार प्रतिवेदन दिनांक 18.06.2018 तथा प्रार्थीगण के पिता के नाम पंजीकृत पट्टा दिनांक 18.07.2012 की प्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पट्टाशुदा भू-खण्ड जिस पर प्रार्थीगण का निर्माण था, उक्त आबादी भूमि 74.86 वर्गगज भूमि का आबादी भूमि नजराना दर से प्रतिकर (मुआवजा) भुगतान करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट को आदेश फरवाया जावे।
4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट ने प्रार्थीगण की भूमि अवाप्त की गई थी जिसका नियमानुसार मुआवजा अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थीगण गलत आधारों पर मुआवजा बढी हुई दर से प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।
 5. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 ए विस्तार के दौसा-लालसोट-कौथून खण्ड के चौडाईकरण हेतु जारी अवार्ड दिनांक 03.04.2018 के ग्राम सलेमपुरा के क्रमांक 1 व 4 पर राशि कमशः 95111/- रुपये व 509164/- रुपये अंकित है। जिसमें बिल्डिंग, प्रथम तल, वाटर टैंक, सीसी फ्लोरिंग, सीजीआई शीट और टॉयलेट साथ ही स्टोन मैशनरी वाल को मूल्यांकन में शामिल किया गया है। प्रार्थीगण की संरचना संख्या आर.एच.एस. 378 का सर्वे एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसमें निम्नानुसार शामिल किया गया है :- वाटर टैंक, सीसी फ्लोरिंग 3.60X5.6 मीटर, सीजीआई शीट 3.60X5.60 मीटर और टॉयलेट 2.60X1.55 मीटर साथ ही स्टोन मैशनरी वाल 6.00 मीटर को मूल्यांकन में शामिल किया गया है। प्रार्थीगण की संरचना संख्या आर.एच.एस. 381 का सर्वे एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसमें निम्नानुसार शामिल किया गया है - बिल्डिंग 10.10X5.80 मीटर, प्रथम तल 5.05X2.50 मीटर को मूल्यांकन में शामिल किया गया है। साथ ही निर्माण का राज्य सरकार की दरों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापन किया गया है, जो सही है। जारी अवार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की अवाप्त शुदा संरचना संख्या 378 व 381 खसरा नंबर 05 वाके ग्राम सलेमपुरा में स्थित है जारी अवार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ पचवारा अनुसार उक्त भूमि राजकीय भूमि है और राजकीय भूमि पर किसी भी प्रकार की गतिविधि किया जाना कानून वैध नहीं है। अतः जारी अवार्ड में तोषण राशि व भूमि हेतु कोई राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की अवाप्त शुदा संरचना संख्या 378 व 381 जिसमें ऊपर बिन्दु संख्या 3 के अनुसार शामिल कर मूल्यांकन किया गया है, सर्वे एजेन्सी द्वारा किये गये मूल्यांकन का राज्य सरकार की दरों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापन किया गया है जो सही हैं। जारी अवार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की संरचना राजकीय भूमि में स्थित होने के कारण अवार्ड राशि में तोषण राशि को सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रार्थी जारी अवार्ड के अनुसार निर्धारित राशि प्राप्त नहीं कर रहे है। प्रार्थीगण की संरचना संख्या 378 व 381 खसरा नंबर 5 वाके ग्राम सलेमपुरा में स्थित है। चूंकि उक्त भूमि जारी अवार्ड एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा

जिला कलेक्टर, दौसा



Web Copy - Not Official

रिपोर्ट के अनुसार राजकीय भूमि है और राजकीय भूमि पर किसी भी प्रकार की गतिविधि किया जाना कानूनन वैध नहीं है। इस प्रकार इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण की संरचना संख्या 378 व 381 का सर्वे एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन एवं सा.नि.वि. द्वारा सत्यापन के आधार पर नियमानुसार अवार्ड तैयार किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 की बहस में दलील है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए मज. दौसा-लालसोट-कौथून खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत विकास एवं विस्तार कार्य के लिए दौसा तहसील के राजस्व परिसीमन क्षेत्र के भूमि अवाप्ति हेतु उपखंड अधिकारी, लालसोट को परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पा०का०ई० दौसा के पत्र क्रमांक 31015/16/दौसा/पकाई/भू०अ०/824 दिनांक 11/08/2016 के द्वारा उपखंड अधिकारी, लालसोट को सक्षम प्राधिकारी भू.अ. नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात् अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गयी जिसे स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 29.07.2015 को प्रकाशित करवाकर हितधारियों व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन की अवधि में आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित की गयी। उक्त निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3डी की अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 26.05.2016 को प्रकाशित करवाया गया। इस प्रकार अधिनियम 1956 की धारा 3डी की उपधारा 1द्ध की अधिसूचना का दिनांक 26.05.2016 को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया जाकर "अवाप्तशुदा भूमि को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की घोषणा कर दी गयी। अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना के विरुद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां उक्त अधिनियम 1956 की धारा उसी के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा सक्षम अधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर आपत्तियों कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए मज. दौसा लालसोट कौथून खण्ड के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी के अन्तर्गत प्राप्त समस्त आक्षेपो पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई तथा उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि, जिसमें खसरा नंबर 5 जो कि राजस्थान सरकार के खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा पक्का निर्माण कर काबिज है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राजस्थान सरकार की ख.नं. 5 अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित संरचनाओं का समुचित रूप से मूल्यांकन कर प्रार्थी के पक्ष मुआवजा राशि का निर्धारण कर कुल मुआवजा राशि रूपये 6,04,275/- का अवार्ड दिनांक 07.03.2017 को प्रार्थीगण के पक्ष में पारित कर दिया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिए अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमान उप पंजीयक से नोटिफिकेशन अन्तर्गत धारा 3 ए की को प्रचलित मार्केट दैल्यू (डीएलसी की वैल्यू) मंगवाई गई थी जो कि उप पंजीयक द्वारा सक्षम अधिकारी को भेजी गई थी व उप पंजीयक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे /अन्य मुख्य सड़क के सन्दर्भ में जो भूमि की कीमत दी गई थी वह प्रचलित बाजार कीमत के अनुसरण में थी जिसके आधार पर ही अवाप्त शुदा भूमि की कीमत निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है, जो कि विधि के प्रावधानों का अन्तर्गत सही व उचित है। समस्त अवाप्तशुदा भूमि की दर/कीमत उप पंजीयक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सड़क के सन्दर्भ में दी गई थी जो कि प्रचलित बाजार मूल्य के समान थी जिसके आधार पर निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है। संबंधित उप पंजीयक/तहसीलदार द्वारा जिस ग्राम की जो दर दी गई थी उसी दर के अनुसार उस गांव की भूमि की दर निर्धारित की गई है। यहां यह कथन करना भी उचित होगा कि डीएलसी दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है व दर निर्धारित करने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, किस्म, बाजार मूल्य आदि का मूल्यांकन राजस्थान स्टाम्प नियम, 204 की धारा 58 के अनुसरण में किया





जाता है ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि डी.एल.सी. दर व बाजार मूल्य में किसी प्रकार की भिन्नता हो। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म राजस्व अभिलेख में मुआवजा निर्धारित करते समय दर्ज थी उसी किस्म के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अदा किया गया है जो कि पूर्णतः उचित एवं सही है। सक्षम अधिकारी ने उसको प्राप्त समस्त आपत्तियों को आपत्तिकर्ता को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत आपत्तियों का निस्तारण कर मुआवजा राशि तय की है जो पूर्णतः उचित व सही है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि में हितबद्धधारियों के भूमि के उपयोग करने के अधिकार का अपवर्जन होने से प्रतिकर के रूप में भी राशि दी गयी है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि प्रार्थी के आवेदन को बल मिलता हो अतः इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा निर्मित संरचनाओं का भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रचलित डीएलसी दर के आधार पर जो कि मार्केट वैल्यू के समकक्ष है अवाप्तशुदा भूमि कि अनुमोदित वैल्यूवर से वैल्यूवेशन रिपोर्ट तैयार करवाकर तथा वैल्यूवेशन रिपोर्ट को पीडब्ल्यूडी द्वारा वैरिफाई करवाकर प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में करवाये गये निर्माण का समुचित मुआवजा निर्धारित कर प्रार्थी के पक्ष में अवार्ड पारित किया गया है जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अनुमोदित मैसर्स जैमन एसोसीएटस से अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करवाकर वैल्यूवेशन रिपोर्ट का सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दौसा द्वारा करवाया जाकर अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित संरचनाओं का ख.नं. एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान की जांच रिपोर्ट के आधार पर देय मुआवजा राशि की पर्चा खतौनी तैयार की गई जिसमें संबंधित खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को देय निर्मित संरचना की प्रतिकर राशि पर अधिनियम, 2013 की धारा 29 के अन्तर्गत निर्धारण किया गया है। मूल्यांकन पर अधिनियम की धारा 300 के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तोषण राशि शामिल कर भुगतान पर्चा खतौनी तैयार की गई है इस प्रकार प्रार्थीगण की संरचनाओं के संबंध में समुचित मूल्यांकन व जांच कि जाकर मुआवजा राशि का अवार्ड दिनांक 07.03.2017 को प्रार्थीगण के पक्ष में पारित किया गया है जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से प्राप्त आपत्तियों का सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से निस्तारण किया जाकरही मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है। यह उल्लेख किया जाना भी उचित है कि खसरा नं. 5 की अवाप्तशुदा भूमि राजस्व रिकार्ड में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण केवल मात्र भूमि पर निर्मित संरचनाओं का मुआवजा पाने के अधिकारी है अन्यथा किसी भी प्रकार से मुआवजे की कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से एवं किसी भी रूप में अवार्ड को संशोधित करवाने या अवार्ड अनुसार प्रार्थीगण को देय प्रतिकर के रूप में मुआवजे राशि के अतिरिक्त अन्य कोई मुआवजा राशि का निर्धारण कराने और कोई भी अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी ने कोई भी ठोस आधार अपने आवेदन पत्र में अवार्ड के बाबत एतराज करने के सम्बन्ध में दर्ज नहीं किये हैं। समस्त आधार केवल मात्र एतराज उठाने की गर्ज से ही लिये गये प्रतीत होते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रा0पत्र किसी भी आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण मय हर्जा खारिज किये फरमाया जावे।

7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. पत्रावली के अवलोकन से हमें यह ज्ञात होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 ए विस्तार के दौसा-लालसोट-कौथून खण्ड के चौड़ाईकरण हेतु जारी अवार्ड दिनांक 03.04.2018 के ग्राम सलेमपुरा के क्रमांक 1 व 4 पर राशि कमशः 95111/- रुपये व 509164/-रुपये का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थीगण की अवाप्त शुदा संरचना संख्या 378 व 381 जिसमें ऊपर बिन्दु संख्या 4 के अनुसार शामिल कर मूल्यांकन किया गया है, सर्वे ऐजेन्सी द्वारा किये गये मूल्यांकन का राज्य सरकार की दरों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापन किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट ने ग्राम सलेमपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 05 में से प्रार्थी की संरचना संख्या

आरएचएस 381 का अवार्ड रू0 509164/- एवं आरएचएस 378 का रू0 95111/- का अवार्ड पारित किया गया है। उक्त भूमि को सरकारी भूमि मानते हुए उक्त भूमि पर तोषण राशि नहीं दी गई है। पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा जारी पट्टा (फोटो प्रति) जो कि प्रार्थी के पिता/पति घनश्याम पुत्र रामलाल गुप्ता निवासी सलेमपुरा के नाम जारी किया गया है। प्रार्थी का यह कथन है कि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा जिस भूमि को अवाप्त किया गया है वह भूमि सरकारी नहीं होकर ग्राम पंचायत जारी पट्टाशुदा भूमि जो कि प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम जारी किया गया है वह भूमि है। पत्रावली में संलग्न पट्टे का अवलोकन किया गया। उक्त पट्टे में कहीं पर भी खसरा नंबर का अंकन नहीं है जिससे यह ज्ञात होता हो कि जिस भूमि को भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा अवाप्त संरचना संख्या आरएचएस 378 व आरएचएस 381 में अवाप्त किया गया है वह प्रार्थीगण के पिता/पति को जारी पट्टे की भूमि है। प्रार्थीगण भी इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अवाप्तशुदा भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति को जारी पट्टेशुदा भूमि में स्थित है। साथ ही यदि भूमि राजकीय रिकार्ड में सिवायचक के रूप में रिकार्ड में दर्ज है तो उस पर पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं एवं यदि सिवायचक भूमि पर पट्टे जारी किये गये है तो वे शून्य है। केवल किस्म गैर मुमकिन आबादी में ही विधि पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है। हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा
जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं

निर्णय आज दिनांक 27 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।



(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा